जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : जीवि./परीक्षा–2/गोप./2014/1547 दिनांक : 19-09-2014

//कार्यालयीन आदेश//

स्थायी समिति की विशेष बैठक दिनांक 25.08.2014 के पद क्रमांक 04 पर लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के परीक्षार्थियों को उत्तरपुस्तिका अवलोकन कराने हेतु निम्नानुसार प्रावधान संधारित किया जाता है:–

महामहिम की मंशानुसार विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 86वी बैठक में लिये गये निर्णयानुसार एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आरटीआई) लागू होने के उपरांत विद्यार्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उत्तरपुस्तिका दिखाई जा सकती है।

1. परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के अन्दर छात्र निर्धारित प्रक्रिया से उत्तरपुस्तिका अवलोकन के लिये आवेदन कर सकता है। इसके लिये शुल्क विश्वविद्यालय समय–समय पर निर्धारित करेगा।

2. आवेदन आने के उपरांत एक समिति छात्रों को उत्तरपुस्तिका दिखायेगी तथा निर्धारित प्रोफार्मा पर छात्र से प्रतिवेदन लेगी।

3. सम्बंधित परीक्षा के सेल समन्वयक छात्र को उत्तरपुस्तिका अवलोकन कराते समय यदि यह देखते हैं कि छात्र की उत्तरपुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित प्राप्तांक छात्र की उत्तरपुस्तिका के अन्दर परीक्षक के द्वारा दिये गये अंकों के योग से भिन्न–अधिक या कम हैं तो ऐसे प्रकरण में अपनी टीप लगाकर सम्बंधित आरटी/आरव्ही सेल प्रभारी को पुर्नगणना के लिए प्रेषित करेंगे और ऐसे प्रकरण का परिणाम आरटी/आरव्ही सेल प्रभारी तत्काल तैयार करायेंगे।

4. समस्त उत्तरपुस्तिकायें परीक्षा समिति एवम माननीय कुलपति द्वारा नामित्त विषय विशेषज्ञ को अवलोकन तथा अनुशंसा के लिये रखी जायेंगी। समिति की अनुशंसानुसार उनका मूल्यांकन विषय विशेषज्ञ से कराया जायेगा।

5. उत्तरपुस्तिका अवलोकन के पश्चात उत्तरपुस्तिकाओं को विषय विशेषज्ञों से मूल्यांकित कराने के पश्चात परिणाम तैयार करते समय निम्न नियमों का पालन किया जायेगा। मूल परीक्षक के द्वारा प्राप्त अंकों और पुर्नजॉच के पश्चात परीक्षक के द्वारा प्रदत्त अंकों के बीच प्रश्न–पत्र के पूर्णांक के 05 प्रतिशत से कम अंतर है तो छात्र का परिणाम अप्रभावित (नो–चेंज) रहेगा। और प्रदत्त अंकों का अंतर 20 प्रतिशत से अधिक है तो ऐसे प्रकरणों में उत्तरपुस्तिकाओं को अन्य किसी तीसरे परीक्षक के द्वारा मूल्यांकित कराया जायेगा। छात्र का परिणाम तभी (चेंज) परिवर्तित माना जायेगा। जब मूल परीक्षक के द्वारा प्रदत्त अंकों और बाह्य दूसरे परीक्षक के द्वारा प्रदत्त अंको में अंतर प्रश्न पत्रों के पूर्णांक के 05 प्रतिशित से अधिक होगा।

6. आर0टी0आई0 के तहत 250/– रू0 जमा करने पर छात्र की उत्तरपुस्तिका की फोटो कॉपी परीक्षा समिति के अवलोकन उपरांत प्रदान कर दी जायेगी।

.....2

7. ए0टी0के0टी0 की उत्तरपुस्तिका भी आर0टी0आई0 के तहत दिखाई जायेगी और छात्र द्वारा चाहने के उपरांत उत्तरपुस्तिका की फोटो कॉपी दी जा सकेगी।

8. छात्र द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन देने पर रीटोटलिंग की जायेगी।

9. उत्तरपुस्तिका अवलोकन प्रक्रिया प्रारम्भ होने के कारण किसी भी विषय में पुर्नमूल्यांकन की व्यवस्था लागू नहीं रहेगी।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः–

1. सम्पादक ..... की ओर भेजकर निवेदन है कि वे उक्त सूचना को अपने लोकप्रिय समाचार–पत्र में छात्र हित में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल – 462003
3. शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. उप–संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. उप–संचालक, सूचना एवं प्रकाशन कार्यालय, ग्वालियर।
6. निर्देशक, आकाशवाणी केन्द्र ग्वालियर।
7. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय की ओर भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त सूचना को छात्र हित में महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करवाने की व्यवस्था करें।
8. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
9. जनसम्पर्क अधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
10. सहायक/उप–कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
11. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
12. अधीक्षक (परीक्षा/गोपनीय) / प्रभारी स्ट्रांग रूम, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
13. प्रभारी, स्वागत कक्ष एवं सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

परीक्षा नियंत्रक